राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(112) परि/नियम/मु./94/पार्ट/33056 जयपुर,दिनांकः 07/04/2017

कार्यालय आदेश.....11...../2017

राजस्थान नौकायन विनियमन अधिनियम, 1956 एवं नियम 1957 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 16/1995 दिनांक 22.06.1995 जारी कर नौकाओं के फिटनेस/लाईसेंस के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे। तत्पश्चात् कार्यालय आदेश संख्या 14/2008 दिनांक 19.08.2008 से कार्यालय आदेश संख्या 16/1995 दिनांक 22.06.1995 में संशोधन कर जलाशयों में चलने वाली नौकाओं के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी जलाशय में, जो राज्य सरकार के किसी विभाग के नियंत्रणाधीन हो, में नाव का संचालन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि नाव के उस जलाशय में संचालन हेतु अनुरूप होने का प्रमाण पत्र व सहमति संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं कर ली जावे। यदि किसी नौका का संचालन संबंधित विभाग की सहमति प्राप्त किये बिना किया जाता है तो नौका संचालन हेतु जारी लाईसेंस स्वतः निरस्त माना जायेगा।

जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 23.02.2017 जारी कर उनके विभाग के अधीन आने वाले जलाशयों में नौका संचालन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 14/2008 दिनांक 19.08.2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित सहमति/प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। अतः भविष्य में जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों हेतु उक्त विभाग का सहमति/प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधीन आने वाले जलाशयों हेतु सहमति/अनुरूपता प्रमाण पत्र पूर्व की भांति ही प्राप्त किया जाना है।

इसके अतिरिक्त नौका के फिटनेस/लाईसेंस के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों में चलने वाले नौकायानों को लाईसेंस/फिटनेस प्रथम बार जारी करते समय ही संबंधित विभाग से सहमति/अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। लाईसेंस/फिटनेस के नवीनीकरण हेतु सहमति/अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

उक्त आदेशों की पालना अक्षरशः की जावें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांकः प.7 (112) परि/नियम/94/पार्ट/33057-61 जयपुर, दिनांकः– 07/04/2017

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
3. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

7/4/17

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

215/ATC(R)
28.3.17

115

Government of Rajasthan
Water Resources Department

No: F- 2 ( )/CEWR/SE (W)/ 584-604 Date: 23/2/17

Chief Engineer,
Water Resources Zone,
Kota/ (N) Hanumangarh/ NCP Sanchore.

Additional Chief Engineer
Water Resources Zone,
Jaipur/ Jodhpur/Udaipur

Chief Engineer,
Indira Gandhi Nahar Project/
CAD(W),IGNP, Bikaner.

Additional chief Engineer,
IGNP, Jaisalmer.

Chief Engineer,
CAD (East), JLN, Jaipur

Sub.: To streamline the process and bring uniformity under the Rajasthan Regulation of Boating Act, 1956 in the State.

It has been noted that no uniform practice is being followed by officers of the department regarding permission to ply boats in various water bodies under control of the department. The Rajasthan Regulation of Boating Act, 1956 and rules 1957 prescribes that the authority to regulate boating activities in various water bodies vests with Transport Department.

Rajasthan has also brought an Act for protection of lakes and water bodies and good numbers of water bodies under control of WRD are also being brought under this Act. This Act is being administered by Local Self Government Department.

Due to existence of these Acts and rules, there is always a possibility of conflict while giving such permission on case to case basis by this department.

19310
24/03/17

The matter has been examined and it has been decided that no application seeking permission to ply boat etc will be entertained by the Water Resources Department even if water bodies are under control of WRD. Applicants in such cases may be asked to seek necessary approval/licence from the departments/bodies as prescribed under the law.

Application already received and pending for decision may also be replied on these lines.

This bears the approval of the Government vide ID No. 134/M/WR/17 dated 07.02.2017

23/2

(Girish Lodha)
Addl. Chief Engineer (Hq&IT)
Water Resources Department
Rajasthan, Jaipur

ATC(R)

(112)

No: F- 2 ( )/CEWR/SE (W)/ 584 -604 Date: 23/2/17

Copy to:

1. SA to Hon'ble Minister Water Resources Department, Jaipur
2. PS to Principal Secretary, Water Resources Department
3. PS to Principal Secretary, UDH, Jaipur.
4. PS to Principal Secretary RD & PR, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary, LSG, Jaipur.
6. PS to Principal Secretary & Transport Commissioner, Jaipur.
7. PS to Secretary, Revenue, Jaipur.
8. PS to Divisional Commissioner, Ajmer/ Bharatpur/Bikaner/Jaipur/Jodhpur / Kota / Udaipur.
9. PS to All District Collectors
10. PS to Chief Engineer, Water Resources Department, Rajasthan, Jaipur

23/02

Superintending Engineer (Works)
to Chief Engineer, WRD
Rajasthan Jaipur